

प्रेस नोट

दिनांक 10.07.2025

थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा आगजनी की घटना कारित करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार—

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0-65/2025 धारा 326(जी) बीएनएस से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तों— 01. भारत चौहान पुत्र रामलखन चौहान नि0 ग्राम छाछपारा मुतवल्ली थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा, 02. भगेलू चौहान पुत्र भारत चौहान नि0 ग्राम छाछपारा मुतवल्ली थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

वादिनी आरती पत्नी रामदास द्वारा थाना मोतीगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षीयों भारत पुत्र लखन, धनप्रकाश पुत्र भारत, भगेलू पुत्र भारत एवं खूटी पुत्र भारत द्वारा दिनांक 06.05.2025 को रात करीब 09:00 बजे उसके छप्परनुमा घर में आग लगा दी गयी थी। जिससे घर में रखा सरसों, धान, कपड़े, बर्तन, साइकिल एवं ₹20,000 नगद सहित कुल करीब ₹1,00,000 की सम्पत्ति जलकर नष्ट हो गयी है। वादिनी की तहरीर पर थाना मोतीगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 10.07.2025 को थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए 02 आरोपी अभियुक्तों— 01. भारत चौहान पुत्र रामलखन चौहान नि0 ग्राम छाछपारा मुतवल्ली थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा, 02. भगेलू चौहान पुत्र भारत चौहान नि0 ग्राम छाछपारा मुतवल्ली थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. भारत चौहान पुत्र रामलखन चौहान नि0 ग्राम छाछपारा मुतवल्ली थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
02. भगेलू चौहान पुत्र भारत चौहान नि0 ग्राम छाछपारा मुतवल्ली थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0स0-65/2025 धारा 326(जी) बीएनएस थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 मिनहाज सिद्दकी।
02. हे0का0 अशोक कुमार यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।